RESOLUTION *RE.* REGROUPING OF RAILWAYS

Mr. Deputy-Speaker: The House will now take up the next resolution of Shri Raja Ram Shastri.

श्री आर० आर० शास्त्री (जिला कानपुर मध्य) : मैं जो प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं वह इस प्रकार है :

> "इस सभा को यह राय है कि संसद् सदस्यों और विशेषज्ञों की एक समिति निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये शीघ्र नियुक्त की जाये :
>
> १. रेलों के पुनर्संमूहीकरण के सम्पूर्ण प्रश्न को जांचने और रेलों की प्रशासनिक क्षमता में सुधार करने के लिये सरकार को उपायों का सुझाव देने के लिये, और
>
> २. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रेल यातायात की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिये उसके विस्तार करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिये ।"

मेरे यह प्रस्ताव के तीन उद्देश्य हैं। एक तो यह है कि अभी तक जो रेलों का पुनर्संमूहीकरण किया गया है उसको जांच की जाय, और उसमें क्या क्या सुधार किये जा सकते हैं इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक विशेष समिति बनाई जाय जो इन तमाम मामलों की जांच करे और अपनी सिफारिशें पेश करे । दूसरा उद्देश्य यह है कि अगर हमें रेलों के अन्दर प्रशासनिक क्षमता के सम्बन्ध में कुछ सुधार करना हो तो उस सम्बन्ध में भी विचार किया जाय, क्योंकि प्रशासनिक क्षमता के ऊपर ही यह निर्भर करता है कि यह विभाग कितनी सफलता के साथ चलता है । साथ ही साथ दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारे सामने है और इस योजना में विशेष जोर व्यवसायों पर दिया गया है । ऐसी स्थिति में यह मानी हुई बात है कि रेलवे विभाग का महत्व बहुत कुछ हमारे सामने आता है । तो इस सम्बन्ध में जो कमेटी बनेगी वह इस मसले पर भी विचार करेगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है ।

इस सम्बन्ध में यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि बार बार हर मसले पह विचार करने के लिये कमेटी की व्यवस्था क्यों की जाती है कहीं यह न कहा जाय कि यह एक ऐसी लग्जरी है कि जब किसी महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान दिलाया जाता है तो यह कमेटी नियुक्त करने का हजारों रुपये का खर्चा और हमारे सामने रख दिया जाता है । इस सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अगर हम रेलवे विभाग का पिछले २५ या ३० वर्ष का इतिहास देखें तो हमको मालूम होगा कि समय समय पर रेलव के सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नों पर विचार करने के लिये कमेटियां बनती रहीं हैं और उन्होंने समय समय अपने विचार पेश किये हैं । अगर हम रेलवे विभाग का पिछले २५–३० वर्ष का इतिहास देखें तो हम को मालूम होगा कि सन् १९२०–२१ में आकवर्थ कमेटी बनाई गई, १९२२–२३ में इन्चकेप कमेटी बनी, १९३३-३४ में पोप कमेटी बनी सन् १९३७–३८ में बैजवुड कमेटी बनाई गई और सन् १९४७ में कुंजरू कमेटी बनी और अन्त में अभी हाल में रेलवे विभाग में भ्रष्टाचार के मसले पर विचार करने के लिये रेलवे करप्शन इंक्वायरी कमेटी बनी जिस के चेयरमैन माननीय सदस्य श्री जे० बी० कृपलानी जी थे । इस आखिरी कमेटी की रिपोर्ट अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है । इस तरह से हम देखते हैं कि लगातार कमेटियों को बना कर सम्पूर्ण मसले पर विचार किया जाता रहा है, और इस से यह प्रगट होता है कि हम इस विभाग में अधिक से अधिक सुधार करने की कोशिश करते रहे हैं । लेकिन सवाल यह हो सकता है कि जब कितनी दफा रेलवे के मसलों पर विचार किया जा चुका है और जब कि अभी थोड़े ही दिन हुए रिग्रुपिग किया गया है तो फिर ऐसी क्या आवश्यकता

[श्री आर० आर० शास्त्री]

पैदा हो गई कि रिग्रुपिंग के मसले पर विचार करने के लिये फिर से कमेटी बनाई जाये ।

मैं इस बात को शुरू में ही साफ कर देना चाहता हूं कि मेरे प्रस्ताव का यह उद्देश्य हरगिज नहीं है कि अभी जो पुनर्संमूहीकरण किया गया है उस का अन्त कर दिया जाय । मेरा विश्वास है कि आजकल समूहीकरण करना आवश्यक है । आप किसी भी बड़े देश को देखें आप इसी नतीज पर पहुंचेंगे कि आज कल रेलवेज का पुनर्नसमूहीकरण एक खास उद्देश्य से किया जाता है और वह उद्देश्य यह है कि छोटे छोटे यूनिटस खत्म करके बड़े बड़े यूनिट्स बनाये जायें ताकि इस में कुछ इकानामी भी हो और काम में एफिशियेंसी भी आवे । हम देखते हैं कि इसी उद्देश्य को लेकर अमरीका, इंगलैंड, जर्मनी, कनाडा आदि देशों में रेलों का पुनर्संमूहीकरण किया जाता है । अपने देश के इतिहास को देखने से भी हम को यही पता चलता है कि हम धीरे धीरे इस निर्णय पर पहुंचें कि अगर हम को इस विभाग में इकानामी करनी है और काम को ऐफीशियेंशी के साथ चलाना है तो हम को पुनर्संमूहीकरण करना चाहिये । जो इतनी मेहनत के बाद हाल ही में पुनर्संमूहीकरण किया गया है, उस को खत्म कर दिया जाय, यह मेरा उद्देश्य नहीं है । लेकिन मैं यह चाहता हूं कि हम यह सोच कर न बैठ जायें कि यह इस विषय पर अन्तिम निर्णय है और अब आगे इस में किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है और यह जो व्यवस्था हो गई है वह सम्पूर्ण है । मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था में कुछ कमियां हैं और मेरे प्रस्ताव का यही उद्देश्य है कि उन पर विचार किया जाये । इसलिये मैं चाहता हूं कि मेरे विरोध में कोई यह दलील न पेश करदे कि मैं इस व्यवस्था का अन्त कर देना चाहता हूं । मैं यह चाहता हूं कि जो कमेटी बने वह इस प्रश्न पर विचार करे कि जो व्यवस्था की गई है वह अच्छी तरह से चल रही है या नहीं, या उस म किसी किसी तरीके के सुधार की आवश्यकता है या नहीं । यह ऐसे प्रश्न हैं कि इन में ऐसा नहीं होना चाहिये कि जब कोई समस्या सामने आ जाये उसी वक्त उस पर सुधार करने के लिये विचार किया जाय । मैं चाहता हूं कि जब हमारे देश में योजना के साथ काम होता है तो इस विषय पर विशेषज्ञों को नियुक्त कर के दूरन्देश से अच्छी तरह विचार कर लिया जाय, ताकि ऐसा न हो कि जल्दी कोई काम कर लिया और फिर कुछ दिनों के बाद कोई समस्या सामने आ गई तो उस में फिर उलट फेर किया । यह तरीका ठीक नहीं है क्योंकि अगर हम बार बार किसी चीज में उलट फेर करते हैं तो उस में बहुत असुविधा होती है । मेरे विचार में यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर बहुत कुछ हमारा भविष्य निर्भर करता है, इस लिये मेरा विचार है कि इस विषय पर हम अच्छी तरह से विचार कर लें । मैं यह नहीं मानता कि जो हाल में रिग्रुपिंग किया गया है वह सम्पूर्ण कहा जा सकता है । वह काम भी जल्दी में किया गया था । उस के हर पहलू पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था उतना ध्यान नहीं दिया गया । इसलिये हम मंत्री महोदय से यह चाहेंगे कि इस मामले में अपना दिमाग खुला रखें । ऐसी बात नहीं होनी होनी चाहिये कि वे यह सोचें कि हम ने अभी थोड़ ही दिन हुये कि यह नई व्यवस्था की है । इस को हमें बदलना नहीं है । मेरा कहना है कि देश में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गयीं हैं कि वे स्वयं इस प्रश्न पर विचार करें । हमारा ख्याल है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जायेंगी कि उन को इस विषय पर विचार करना पड़ेगा । यह कोई अनहोनी बात भी नहीं है । इस पुनर्संमूहीकरण के थोड़े ही समय बाद यह अनुभव किया जाने लगा कि पूर्वी रेलवे पर वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उस को दो हिस्सों में विभक्त

किया जाय । यह हाल साऊथ-ईस्ट रेलवे का भी है । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस व्यवस्था के चालू होने के थोड़े ही दिन बाद तजुर्बे ने यह बतलाया कि इस में परिवर्तन होना चाहिये । ऐसा दूसरी रेलवेज के बारे में भी हो सकता है । इसलिये मैं चाहता हूं कि एक विशेषज्ञों की कमेटी बैठे जो कि इस सम्पूर्ण व्यवस्था पर विचार करे ।

5 P.M.

Mr. Deputy-Speaker: It is now 5 o'clock. The hon. Member may continue his speech on the next day.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday the 24th September, 1955.